जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 31.03.2025

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 07 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना बखिरा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 5999 द्वारा मारपीट/विवाद में घायल 02 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 5999 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत चन्दौली माफी से कालर द्वारा मारपीट में घायल 02 व्यक्ति (1. राकेश पुत्र स्व0 श्री शरण 2. राजलक्ष्मी पत्नी राकेश निवासीगण ग्राम चन्दौली माफी थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया गया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर घायल व्यक्तियों को 108 एम्बुलेंस की सहाय़ता से सी0एच0सी0 मलौली भेजवाया गया । घटना के सम्बन्ध मे थाना धनघटा को अवगत कराया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुँचकर घायल व्यक्तियों को ईलाज हेतु सी0एच0सी0 मलौली भेजवाया गया । जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी ।

पीआरवी स्टाफ- आ0 देवेन्द्र कुमार, आ0 पंकज यादव, हो0चा0 राजेश कुमार ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 75 वाहनों से 78,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 31.03.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 75 वाहनों से 78,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए धोखाधड़ी, गबन व आपराधिक विश्वासघात करने के मामले में अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजीत चौहान*** के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 966/2024 धारा 316(5), 318(2), 318(4), 352,351(3) बी0एन0एस0 में वांछित अभियुक्त नाम पता शैलेश उपाध्याय पुत्र प्रेमजी उपाध्याय निवासी सपहा पोस्ट सिल्लो थाना लालगंज जनपद बस्ती को आज दिनांक 31.03.2025 को नियमानुसार धारा 35(ए) बीएनएसएस की नोटिस प्राप्त होने के उपरान्त उपस्थित थाना आने पर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

शैलेश उपाध्याय पुत्र प्रेमजी उपाध्याय निवासी सपहा पोस्ट सिल्लो थाना लालगंज जनपद बस्ती **।**

विदित हो कि वादी श्री शेखू खान पुत्र बेलाल अहमद निवासी औद्योगिक क्षेत्र थाना कोतवाली खलीलाबाद द्वारा दिनांक 20.12.2024 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर तहरीर दिया गया कि उक्त अभियुक्त जो कि उनके फर्म डिकोरियम इण्डिया प्रा0लि0 व नेशनल प्लाईबुड सेण्टर के अकाउण्ट हेड के रुप में पिछले 01 वर्ष से कार्यरत था, उक्त अभियुक्त के द्वारा जीएसटी, कर्मचारियों के पीएफ फण्ड व कम्पनी के खाते से धोखाधड़ी करते हुए 12 लाख 73 हजार 608 रु0 गबन कर लिया गया है, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था । अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 31.03.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्र0नि0- श्री अशोक कुमार दूबे, का0 मनीष कुमार यादव, का0 राजन यादव ।